राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 163वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक **19.11.2024** को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की **163वीं** बैठक **श्री लाल सिंह**, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में श्री कुमार पाल गौतम, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान सरकार, श्रीमती अनुप्रेरणा सिंह कुंतल, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, श्री नवीन नाम्बियार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, डॉ. राजीव सिवाच, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर, श्री एम. अनिल, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री विकास अग्रवाल, उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, श्री अनुज अवस्थी, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी-गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 163वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होने बताया कि बैठक में सुगठित एजेंडा पर फोकस करते हुए विभिन्न मापदण्डों एवं योजनाओं के तहत अभी तक की प्रगति का विश्लेषण किया जाएगा एवं आगे के लिए कार्ययोजना पर विचार एवं निर्णय लिया जाएगा।

उन्होने सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

- **Annual Credit Plan 2024-25:** वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए **रु 3.60 लाख करोड़** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 30.09.2024 तक **रु 2.01 लाख करोड़ (55.85%)** की उपलब्धि की गयी है।
- जिन बैंकों की ACP के तहत उपलब्धि राज्य औसत (55.85%) से कम है, उनसे अनुरोध है कि अपना क्रेडिट स्तर बढ़ाएँ और अपेक्षित प्रगति करें। सभी बैंक ACP लक्ष्यों को surpass करने का प्रयत्न करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- **Brick & Mortar branches:** भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आईडीएफ़सी बैंक से अनुरोध है कि आवंटित शेष केन्द्रों पर बिना विलंब ब्रिक-एंड मोर्टर शाखाएँ खोलना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आईडीएफ़सी बैंक)

- **Campaign for Jan-Suraksha Schemes at GP level**- सभी बैंक एवं LDMs से दिनांक 15.10.2024 से 15.01.2025 तक PMJJBY एवं PMSBY हेतु चलाये जा रहे ग्राम पंचायत स्तर के अभियान में अधिकतम योगदान करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- **"SVANidhi bhi, Swabhiman bhi" Pakhwada campaign-** सभी बैंक और LDMs से 18.11.2024-02.12.2024 तक "स्वनिधि भी, स्वाभिमान भी" पखवाड़ा अभियान के तहत मिशन मोड में कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- MLUPY और MYUPY को 31.07.2024 से बंद कर दिया गया है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिये गए निम्न दिशानिर्देशों की अनुपालना करते हुए योजनाओं के तहत सराहनीय प्रदर्शन करने का अनुरोध है-
  - लंबित आवेदनों को 30.11.2024 तक स्वीकृत करें।
  - स्वीकृत आवेदनों का वितरण दिनांक 31.12.2024 तक करें।

- लाभार्थी को योजनाओं के तहत सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए बैंकों को 15.01.2025 तक पोर्टल पर पहले tranche के ऋण वितरण का विवरण अपडेट करना होगा।
- उपरोक्त उल्लिखित तिथि तक आवेदनों का निपटान न होना संबंधित बैंक की जिम्मेदारी होगी।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

तत्पश्चात उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों एवं अन्य हितधारकों के अधिकारियों एवं राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

उन्होने अवगत कराया कि PMJDY के 10 वर्ष पूरे होने पर Financial Services Secretary, Shri M. Nagaraju ने बैंकों को PMJDY खातों में, fingerprints, face recognition, इत्यादि जैसे विभिन्न माध्यमों से fresh KYC करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन खातों में KYC documents में कोई बदलाव नहीं है, उनके खाताधारकों से ATM, mobile banking, internet banking एवं अन्य digital channels का प्रयोग करते हुए declaration लेने हेतु निर्देशित किया है। इसकी अनुपालना में बैंकों से मिशन मोड में समयबद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध है।

साथ ही उन्होने सभी बैंकों से MSMEs को पर्याप्त और त्वरित ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया।

उन्होने राज्य में बैंकों के विभिन्न **key indicators जैसे Business Growth, Priority Sector Lending आदि** से अवगत कराया-

- वित्तीय वर्ष 2024-25 की सितंबर तिमाही के अंत में राज्य के सभी बैंकों का Total Business **रु 14.09 लाख करोड़** पहुंच गया है। बैंकों ने Deposit में **10.64%** की Y-o-Y Growth की है और Advances में **13.67%** की Y-o-Y Growth की है।
- राज्य का CD Ratio सितंबर, 2024 तक **95.73%** है और यह RBI Benchmark से काफी ऊपर है। **Advances to Priority Sector** ने **12.60%** की Y-o-Y Growth की है। Agriculture Advances में **10.88%** की Y-o-Y Growth हुई है एवं MSME Advances में **17.71%** की Y-o-Y Growth हुई है।
- Financial Year 2024-25 की सितंबर तिमाही तक **Total Priority Sector** के ACP के लक्ष्यों के सापेक्ष Achievement **55.85%** है। ACP के तहत **MSME** में **64.47%**, **Agriculture** में **51.53%** और **Other Priority Sector** में **20.15%** उपलब्धि है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि FY 2024-25 में उचित strategy बनाते हुए ACP के allotted targets की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करें।

उन्होने वंचितों और गरीबों की उन्नति के लिए सभी बैंकों, विशेषकर निजी बैंकों एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों से अनुरोध किया कि सरकारी योजनाओं, यथा, **PMEGP, PM SVANidhi, DAY NULM, IMSUPY, PM-AJAY, R-SETI Credit Linkage, SHG Credit Linkage एवं CGTMSE** के तहत अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

साथ ही सभी बैंक निम्न बिन्दुओ पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया:

1. **KCC Saturation Drive** में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु KCC Card दिया जाना।
2. बैंकिंग सेवाओं से वंचित सभी पात्र व्यक्तियों का PMJDY account खोलना और उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (**PMJJBY, PMSBY, APY**) से भी लाभान्वित करना।
3. PMJDY खातों में **Rupay card issuance** और activation तथा आधार seeding।
4. कृषि क्षेत्र में **Investment Credit** में **40%** के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करना।
5. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।
6. '**Digital एवं Financial Literacy** का प्रचार-प्रसार।
7. **PM Vishwakarma योजना** के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में उन्होने **राजस्थान सरकार के पास समाधान हेतु लंबित बैंकों से संबन्धित मुद्दों** पर बैठक के दौरान राज्य सरकार से उचित समाधान प्राप्त होने की आशा व्यक्त की।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- राजस्थान का geographical area भारत का 10% है, जनसंख्या 6% है और राष्ट्रीय GDP में योगदान 5% है। इसके सापेक्ष राज्य में कार्यरत बैकों का राष्ट्र के कुल क्रेडिट और deposit में योगदान क्रमशः 4% और 3% है जो बहुत कम है।
- देश में औसतन लगभग 13 शाखा प्रति लाख जनसंख्या के सापेक्ष राज्य में 10 शाखाएँ प्रति लाख जनसंख्या है। राजस्थान में बैंक शाखा और एटीएम का वितरण अखिल भारतीय औसत से बहुत कम है। राष्ट्र स्तर तक पहुँचने हेतु लगभग 1,000 बैंक शाखाएँ एवं 4000 से ज्यादा एटीएम और राज्य में खोलने होंगे।
- राज्य में गत 1 वर्ष में शाखाओं की संख्या में 3.5% और deposits में 10.5% की वृद्धि हुई है जिसे और गति देने की आवश्यकता है।
- राज्य की 65-75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है पर बैंक कुल deposit के मात्र 15% deposit ग्रामीण क्षेत्रों से mobilize कर पा रहे हैं।
- स्माल फ़ाइनेंस बैंकों की शाखाओं में 20% और deposits में 24% वृद्धि हुई है जो सराहनीय है। अन्य बैंकों के लिए यह संकेत है कि राज्य में deposit mobilization की अभी भी बड़ी मात्रा में untapped potential है जिसका अन्य बैंकों को उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।
- राज्य में PMJDY के तहत औसत balance राष्ट्रीय औसत से लगभग 25% अधिक है।
- उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए बैंकों की ओर से आपूर्ति पक्ष के प्रयासों की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में सभी बैंक अगले तीन वर्षों के लिए अपने शाखा और एटीएम विस्तार की रणनीति प्रस्तुत करें।
- Distribution of branch network-

Category	**Rural**	**Urban**	**Semi-urban**
PSBs	35%	35%	30%
Private Banks	18%	46%	36%
Small Finance banks	25%	35%	40%
RRBs	73%	7%	19%

- सरकारी बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक्स का प्रति शाखा औसत deposit mobilization क्रमशः रु 103 करोड़, रु 90 करोड़, रु 30 करोड़ एवं रु 53 करोड़ है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि अपनी business strategy, target segment और business models का विश्लेषण करें और डिपॉज़िट mobilization बढ़ाने हेतु उचित कार्ययोजना बनाते हुए त्वरित कार्यवाही करें।
- निजी बैंकों का CD ratio 131% है जिसके सापेक्ष सरकारी बैंकों का CD ratio 75% है। अतः निजी बैंकों का deposit to credit conversion सरकारी बैंकों से अधिक है।
- राज्य में micro enterprises के लगभग 9 लाख मुद्रा खाते हैं जिनमे से 48% शिशु और 47% किशोर वर्ग के हैं। इन 9 लाख खातों में से 56% निजी और स्माल फ़ाइनेंस बैंकों के पास हैं।
- राज्य के 70% अग्रिम खाते NBFC एवं निजी बैंकों में हैं।
- केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत targets का आवंटन बैंकों की शाखा उपस्थिति और उनके वितरण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राज्य सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- बैंकिंग संस्थाओं का विकास और प्रगति सराहनीय है। जनता का बैंकों में विश्वास बढ़ा है। बैंकिंग क्षेत्र में digitization भी त्वरित गति से बढ़ रहा है।
- बढ़ते digitization के साथ cyber crimes का खतरा भी बढ़ गया है।
- गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने राज्य में cyber cells और cyber helplines स्थापित की हैं और साइबर क्राइम विभाग को भी सशक्त किया जा रहा है।
- बैंक स्टाफ से अनुरोध है कि पुलिस/ साइबर क्राइम अधिकारी को investigation में सहयोग प्रदान करते हुए मांगे जाने पर आवश्यक सूचनाएँ एवं दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं एवं statement प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- एसएलबीसी बैठक का आयोजन अग्रणी बैंक योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में नियमित रूप से किया जा रहा है जिसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति सराहना और बधाई की पात्र है।
- भारत सरकार द्वारा पूरे राष्ट्र एवं राजस्थान के लिए कृषि ऋण वितरण हेतु क्रमशः रु 27.5 लाख करोड़ एवं रु 2.07 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नाबार्ड द्वारा PLP में इसी के संरेखित रु 2.09 लाख करोड़ का कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। किन्तु ACP के तहत रु 1.64 लाख करोड़ का कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि भारत सरकार द्वारा दिये लक्ष्य से 20% कम है।
- राजस्थान में कृषि क्षेत्र अग्रिम में अधिक संभावनाएं उपलब्ध है जिसका लाभ उठाते हुए बैंकों को अधिक से अधिक कृषि ऋण प्रदान करने का अनुरोध है।
- Annual Credit Plan- वार्षिक साख योजना के तहत Other Priority Sector (OPS) में बैंकों का प्रदर्शन (20.15%) असराहनीय है। बैंकों से अनुरोध है कि OPS जैसे renewable energy, education loan, housing loan इत्यादि के तहत अधिक से अधिक ऋण प्रदान करते हुए अपने बैंक में OPS ऋण के स्तर में वांछित सुधार करें।
- राज्य में कृषि निवेश ऋण, कुल ऋण का 30.88% है। निम्न योजनाएँ कृषि निवेश ऋण बढ़ाने हेतु अत्यंत लाभदायी हैं-
    - **PM KUSUM Component A**- PM KUSUM Component A को AIF में सम्मालित किया गया है। अतः PM KUSUM Component A के लाभार्थी AIF के तहत interest subvention का भी लाभ ले सकते हैं।
    - **Agriculture Marketing Infrastructure Subsidy Scheme-** इसका क्रियान्वयन नाबार्ड के माध्यम से किया जा रहा है जिसमे निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं-
        - FPOs के लिए मार्जिन मनी 20% से कम करके 10% कर दिया गया है।
        - गतिविधि-वार subsidy ceiling बढ़ा दी गयी है।
        - Projects के समापन की समय सीमा बढ़ा दी गयी है।
        - इस योजना के तहत AIF interest subvention का भी लाभ उपलब्ध है।
    - **PMFME-** PMFME हेतु आवंटित बजट बढ़ा दिया गया है। PMFME को बढ़ावे देने हेतु राज्य सरकार को तकनीकी सुधारों और उद्यमियों के capacity building पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा One District One Product, Rajasthan Irrigation Water Grid mission, Chief Minister Animal Husbandry Development Fund, इत्यादि जैसी योजनाएँ प्रस्तावित हैं। सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजनाओं समेत सभी कृषि निवेश/ सावधि ऋण योजनाओं के संबंध में अपने

क्षेत्रीय प्रबन्धकों को जागरूक करते हुए उन्हे कृषि निवेश ऋण के तहत अधिक से अधिक ऋण वितरण करवाने हेतु निर्देशित करें एवं राज्य में कृषि निवेश ऋण का स्तर राष्ट्रीय औसत (40%) तक पहुंचाने में अपना वांछित योगदान देवें।

- राज्य में agriculture GDP में पशुपालन का योगदान (49%), फसली योगदान (45%) से अधिक है। किन्तु पशुपालन हेतु GLC (Ground Level Credit) उसके agriculture GDP में योगदान के सापेक्ष कम है। सभी बैंकों से पशुपालन, मत्स्यपालन एवं गोपालन हेतु अधिक से अधिक ऋण देने का अनुरोध है जिससे कृषि निवेश ऋण में भी वृद्धि होगी।
- FIF के तहत 5 प्रायोजक बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं यूको बैंक के माध्यम से 61 CFLs को sanction किया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि OPEX क्लेम से पहले CAPEX क्लेम नाबार्ड को भेजें जिससे OPEX क्लेम को justify किया जा सके। इस प्रकार क्लेम भेजने पर इनका नाबार्ड द्वारा निस्तारण किया जाना संभव है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- पिछले वर्ष के सापेक्ष सहकारी बैंकों का कृषि GLC में योगदान कम हुआ है। सहकारी बैंकों से अनुरोध है कि कृषि क्षेत्र में अपना ऋण पोर्टफोलियो diversify करते हुए GLC बढ़ाएँ।

(कार्यवाही: समस्त सहकारी बैंक)

- **Mismatch of Data**: नाबार्ड के आंकलन के अनुसार राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में रु 1.3 लाख करोड़ का कृषि ऋण दिया गया है जिसके सापेक्ष एसएलबीसी द्वारा रु 1.44 लाख करोड़ का कृषि अग्रिम सूचित किया गया है। एसएलबीसी से अनुरोध है कि पिछले वित्तीय वर्ष के कुल कृषि ऋण के डाटा की जांच करके इसे सही करें।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- नाबार्ड MEDP, LEDP और MSUVIDHA कौशल विकास योजनाओं के तहत विभिन्न जिलों में 500 SHG सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु राजीविका, राजस्थान सरकार के साथ collaboration करने पर विचाराधीन है।
- Financial Inclusion Fund (FIF) के तहत नाबार्ड का फोकस banking touch points की संख्या बढ़ाने पर है। साथ ही सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत सहकारी डेयरी समितियों को micro-ATM दिये जाने का प्रावधान है जिसका सफल क्रियान्वयन गुजरात प्रदेश में किया जा रहा है एवं राजस्थान में किया जाना प्रस्तावित है।

उप-निदेशक, I4C ने सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

- पीड़ित द्वारा साइबर अपराध की शिकायत नेशनल टोल फ्री नंबर 1930 अथवा National Cyber Crime Reporting Portal पर की जा सकती है। इस पोर्टल पर 340 बैंक और वित्तीय संस्थान एवं 14,000-15,000 साइबर थाने जुड़े हुए हैं। अर्थात नजदीकी साइबर थाने जाकर भी पीड़ित इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकता है।
- JCCT Management Information System- इस पोर्टल पर विभिन्न राज्यों की पुलिस परस्पर interact कर सकती हैं।
- Cyber Dost- इस social media handle पर साइबर अपराध हेतु जागरूकता से संबन्धित जानकारी उपलब्ध है।
- Cy-Train Portal- Law Enforcement Agencies, बैंकर्स एवं अन्य केंद्र सरकार के अधिकारियों के प्रशिक्षण और capacity development हेतु बनाया गया पोर्टल है।
- Cyber Fraud Mitigation Centre- यह एक command and control centre है जहां साइबर धोखाधड़ी को real-time में mitigate किया जाता है। इससे 35 बैंक, 5 राज्यों के पुलिस अधिकारी, telecom service providers और I4C के अधिकारी जुड़े हुए हैं।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि I4C द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जारी SOP के अनुसार निम्नलिखित से संबन्धित दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें-
    - Complaint filing, Lien Marking, Account freezing and suspension of digital banking

- Having Grievance Redressal Mechanism and Grievance Regressal Portal in place
- Process of restoration of default money

- बैंकों से निम्न बिन्दु सुनिश्चित करने का अनुरोध है-
  - उद्यम पोर्टल पर खोले गए चालू खातों के KYC समेत सभी खातों के KYC का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।
  - खाते में लेन-देन, घोषित की गयी आय के अनुरूप होना चाहिए।
  - बैंकों में mule accounts खोलने से रोकने एवं पहले से मौजूद mule accounts को चिन्हित करने हेतु कार्ययोजना बना कर आवश्यक कार्यवाही करें।
  - बैंक का transaction monitoring system, KYC और IP monitoring system, इंडसइंड बैंक, आईडीएफ़सी बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक के अनुरूप सशक्त करें। बैंक के सिस्टम में साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होते ही त्वरित खाता फ्रीज़ करने का प्रावधान अंतर्निहित होना चाहिए।
  - Hotspot क्षेत्रों में ATM withdrawal सीमा कम रखना और Enhanced Due Diligence का पालन किया जाना चाहिए।
  - I4C द्वारा एक suspect registry बनाई गयी है जिसमे उन सभी खातों की सूची और विवरण है जिनके विरुद्ध साइबर अपराध करने के कारण law enforcement agencies द्वारा कार्यवाही की गयी है। खाते खोलते समय बैंक इस registry पर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संभावित खाताधारक साइबर अपराधी तो नहीं है।
  - साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर बैंक बिना विलंब अर्थात त्वरित आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान सरकार ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- पीएम स्वनिधि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। दिनांक 18.11.2024-02.12.2024 तक "स्वनिधि भी, स्वाभिमान भी" पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अधिक से अधिक Street Vendors (SVs) का पीएम स्वनिधि ऋण आवेदन स्वीकृत करने एवं स्वीकृत ऋण आवेदनों में ऋण वितरण करवाने का सभी बैंकों से अनुरोध है।
- राज्य में 3,12,240 पीएम स्वनिधि आवेदन बैंकों को अग्रेषित किए गए हैं जिनमे से 37,508 स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है और 37,151 आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं।
- ULB स्तर पर Town Vending Committees (TVC) का गठन किया गया है जो SVs को scrutinize करती है। SVs की गतिविधियां उचित पाये जाने के पश्चात उन्हे एक ID Card दिया जाता है जिसके आधार पर यह SV e-mitra पर रु 10,000 के collateral-free पीएम स्वनिधि ऋण के लिए आवेदन करता है और उसका आवेदन चयनित बैंक के पास चला जाता है। जिन क्षेत्रों में TVCs नहीं होते हैं, वहाँ municipal body के सक्षम अधिकारी द्वारा पीएम स्वनिधि के आवेदन की जांच की जाती है, जिसके बाद SV को Letter of Recommendation दिया जाता है। बैंक को TVC/ municipal body के सक्षम अधिकारी द्वारा पहले से सत्यापित दस्तावेज़ों/ ID card के आधार पर आवेदन को स्वीकृत करना होता है।
- इसके पश्चात भी पीएम स्वनिधि के आवेदनों के निस्तारण में निम्न मुद्दे संज्ञान में आए हैं-
  - स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरण करने हेतु बैंक स्टाफ द्वारा आवेदक को शाखा में बुलाया जाता है जिसके कारण उसे दिन की आय का नुकसान होता है।
  - SVs के शाखा में नहीं पहुँच पाने के कारण ऋण दस्तावेज़ों का निष्पादन संभव नहीं हो पता है जिसके कारण उसका आवेदन बैंक के पास लंबित रहता है या निरस्त कर दिया जाता है।
  - बैंक स्टाफ द्वारा field-visit की जाती है जिसका पीएम स्वनिधि योजना के दिशा-निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है।
  - भारतीय स्टेट बैंक में सबसे अधिक 24,000 आवेदन ऋण वितरण एवं 4,000 आवेदन निस्तारण हेतु लंबित है।

- अतः बैंकों से अनुरोध है कि राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित पीएम स्वनिधि के ऋण आवेदनों का बैंक बिना विलंब एवं बिना field-visit निस्तारण करें।
- सभी बैंक **15 नवंबर, 2024** को माननीय प्रधानमंत्री की जयपुर में प्रस्तावित विज़िट से पूर्व सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
- दूसरे बैंकों के पास लंबित आवेदनों में अन्य बैंक भी ऋण प्रदान कर सकता है।
- पीएम स्वनिधि से संबन्धित किसी भी समस्या के निस्तारण हेतु बैंक स्वायत्त शासन विभाग से संपर्क करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि ऋण वितरण से पूर्व आवेदक से ऋण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर आवश्यक हैं जिसके लिए उन्हे बैंक बुलाया जाता है।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने संबन्धित विभाग से अनुरोध किया कि दिनांक 18.11.2024-02.12.2024 तक "स्वनिधि भी, स्वाभिमान भी" पखवाड़ा अभियान के दौरान लंबित पीएम स्वनिधि आवेदनों के आवेदनकर्ताओं को संबन्धित बैंक तक पहुंचाने हेतु ULBs को निर्देशित करें।

(कार्यवाही: स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए पीएम स्वनिधि के आवेदनों का सत्यापन, आधार OTP के माध्यम से होने के पश्चात, बिना आवेदक को बैंक बुलाये ऋण स्वीकृति और ऋण वितरण हो जाता है। किन्तु जो आवेदन इसके अतिरिक्त प्राप्त होते हैं, उनमे ऋण वितरण के लिए आवेदक को बैंक बुलाया जाता है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों से अनुरोध किया कि अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर पीएम स्वनिधि के आवेदनों में ऑनलाइन स्वीकृति और ऋण वितरण हेतु system बनवाएँ जिससे आवेदक को बैंक शाखा में नहीं आना हो और आवेदनों का 2 सप्ताह की निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

परियोजना निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक बुधवार को बैंक और विभाग के अधिकारियों के समन्वय से पीएम स्वनिधि हेतु शिविरों का आयोजन किया जाएगा किन्तु इन शिविरों में बैंकों द्वारा सहभागिता नहीं की जाती है।
- विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देशानुसार पीएम स्वनिधि के तहत प्रदर्शन सुधारने हेतु ज़िला कलक्टरों की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कारवाई गईं जिनमे उक्त शिविरों हेतु कार्यक्रम जारी किया गया। इसके पश्चात भी बैंक उक्त शिविरों में सहभागिता नहीं कर रहे हैं।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कई निजी बैंकों का प्रदर्शन असराहनीय है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि "स्वनिधि भी, स्वाभिमान भी" पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित शिविरों एवं अन्य सभी PM SVANidhi शिविरों में अपनी शाखाओं को सहभागिता करने का निर्देश देवें एवं आवेदनों का निस्तारण व उनमे ऋण वितरण निर्धारित समय सीमा में करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

Confirmation of Minutes of 162nd SLBC Meeting

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 29.08.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 07.09.2024 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

Banking at a glance in Rajasthan

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति निम्नानुसार है-

Parameters	Sept, 2021	Sept, 2022	Sept, 2023	March, 2024	Sept, 2024*
No. of Branches (new Br in Yr./Qtr)	8,194 (31)	8,347 (42)	8,726 (120)	8,880 (348)	9018 (138)
*** 67.20% branches in Rural & Semi Urban.**					
					(₹. in Cr)
Deposits **(% Y-o-Y Growth)**	5,11,415 (9.13%)	5,73,164 (12.07%)	6,50,721 (13.53%)	6,90,918 (11.80%)	7,19,968 (10.64%)
Advances **(% Y-o-Y Growth)**	4,19,042 (11.90%)	4,88,501 (16.58%)	6,06,324 (24.12%)	6,53,698 (19.50%)	6,89,213 (13.67%)
CD Ratio	83.51%	85.23%	93.18%	94.61%	95.73%
PS Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	2,70,851 (12.01%) (64.64%)	3,02,148 (11.56%) (61.85%)	3,64,109 (20.50%) (60.05%)	3,91,151 (17.58%) (59.84%)	4,09,984 (12.61%) (59.49%)
Agri. Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	1,24,760 (9.92%) (29.77%)	1,40,900 (12.94%) (28.84%)	1,57,819 (12.01%) (26.03%)	1,69,893 (12.92%) (25.99%)	1,74,990 (10.88%) (25.39%)
MSME Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	1,05,646 (18.27%) (25.21%)	1,23,706 (17.09%) (25.32%)	1,59,772 (29.15%) (26.35%)	1,73,620 (23.25%) (26.56%)	1,88,060 (17.71%) (27.29%)

Achievement against stipulated benchmark on September - 2024

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में **2.55%** की वृद्धि हुई है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र outstanding में **रु. 45,875 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुयी है।
- कृषि क्षेत्र outstanding में **रु. 17,171 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुयी है।
- माइक्रो खातों में **0.73%** की बढ़ौतरी हुयी है।
- एमएसएमई के तहत माइक्रो खातों की बकाया राशि में **रु. 15,130 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुई है। (नेट बढ़ौतरी)
- बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम, कृषि, कमजोर वर्ग अग्रिम और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से प्रतिशत के संदर्भ में गिरावट देखी जा रही है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Districts wise CD ratio in Rajasthan

No. of District	CD Ratio Range	Name of Districts
24	>100%	Balotra, Dudu, Jaipur Gramin, Jodhpur Gramin, Anoopgarh, Hanumangarh, Phalodi, Bhilwara, Jaisalmer, Sanchore, Pratapgarh, Nagaur, Kekri, Ganganagar, Jhalawar, Barmer, Tonk, Khairthal-Tijara, Chittorgarh, Bikaner, Sikar, Baran, Churu, Shahpura
18	70-100%	Bundi, Kotputli-Behror, Beawar, Deeg, Sawai Madhopur, Salumbar, Alwar, Didwana-Kuchaman, Banswara, Dausa, Neem Ka Thana, Kota, Jhunjhunu, Jaipur Urban, Gangapurcity, Jalore, Rajsamand, Pali
7	50-70%	Dholpur, Udaipur, Bharatpur, Karauli, Ajmer, Jodhpur Urban, Dungarpur
1	<50%	Sirohi

Districts having CD ratio lower than all India level (as on 30th September, 2024)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य के 16 जिलों यथा कोटा (79.09%), पाली (70.31%), भरतपुर (67.41%), झुंझुनू (77.49%), उदयपुर (67.76%), अजमेर (63.23%), राजसमंद (72.59%), करौली (66.58%), धौलपुर (69.39%), डूंगरपुर (59.87%), जोधपुर अर्बन (61.32%), जालोर (73.52%), जयपुर अर्बन (75.31%), गंगापुर सिटी (74.84%) एवं सिरोही (47.7%) का सीडी अनुपात, राष्ट्रीय औसत (79.79%) से कम है। सीडी अनुपात सुधारने हेतु इन जिलों में कार्यरत बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबंधकों को मिशन मोड में कार्य करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक कोटा, पाली, भरतपुर, झुंझुनू, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, करौली, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर अर्बन, जालोर, जयपुर अर्बन, गंगापुर सिटी एवं सिरोही)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त जिलों के डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध किया कि वह जिलों का ब्लॉक-वार विश्लेषण करें एवं जिन ब्लॉक का CD ratio राज्य औसत से कम है, उन ब्लॉक हेतु monitorable action plan बनाकर एसएलबीसी को प्रेषित करें। साथ ही प्रगति के डाटा की निगरानी अपने स्तर से भी करें।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)

District with Low CD Ratio

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि सिरोही ज़िले में CD ratio की ब्लॉक-वार स्थिति निम्नानुसार है-

Sirohi Block wise CD Ratio Sept -24										
Sr. no.	Lead Bank	District	Name of Block	Population of Block / District	No. of Branch	Deposit (Amt. in Lacs)	Advances (Amt. in Lacs)	CD Ratio	Per Capita Deposit (Amt. in Lacs)	Per Capita Advances (Amt. in Lacs)
1	State Bank of India	Sirohi (47.70%)	ABU ROAD	201461	40	299826.85	124033.00	41.37	1.49	0.62
2			PINDWARA	261686	20	136123.15	59408.32	43.64	0.52	0.23
3			REODAR	244791	35	85461.55	62250.92	72.84	0.35	0.25
4			SHEOGANJ	142329	15	87068.40	38858.28	44.63	0.61	0.27
5			SIROHI	186079	40	225050.33	113048.46	50.23	1.21	0.61
Sirohi				1036346	150	833530.28	397598.99	47.70	0.80	0.38

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने –

- सिरोही के लीड बैंक से अनुरोध किया कि वह ब्लॉक-वार monitorable action plan बनाकर एसएलबीसी को प्रेषित करें। साथ ही प्रगति के डाटा की निगरानी अपने स्तर से भी करें।

  (कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

- एसएलबीसी से अनुरोध किया कि सिरोही ज़िले में CD ratio की ब्लॉक-वार प्रगति का पिछली तिमाही के सापेक्ष उप-समिति की बैठक में विश्लेषण करें।

  (कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने-

- राज्य औसत से कम CD ratio वाले जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि credit penetration और deposit mobilization बढ़ाते हुए CD ratio सुधारने के संबंध में BLBC बैठकों में चर्चा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि ज़िले के CD ratio में उल्लेखनीय सुधार हो।

  (कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, कोटा, पाली, भरतपुर, झुंझुनू, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, करौली, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर अर्बन, जालोर, जयपुर अर्बन, गंगापुर सिटी एवं सिरोही)

- राज्य सरकार से अनुरोध किया कि उक्त जिलों में services और infrastructure का स्तर बढ़ाकर उपयुक्त credit absorption capability उत्पन्न करें जिससे इन जिलों में credit demand बढ़े।

  (कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

Comparative Development of Rajasthan from March' 24 to Sept' 24

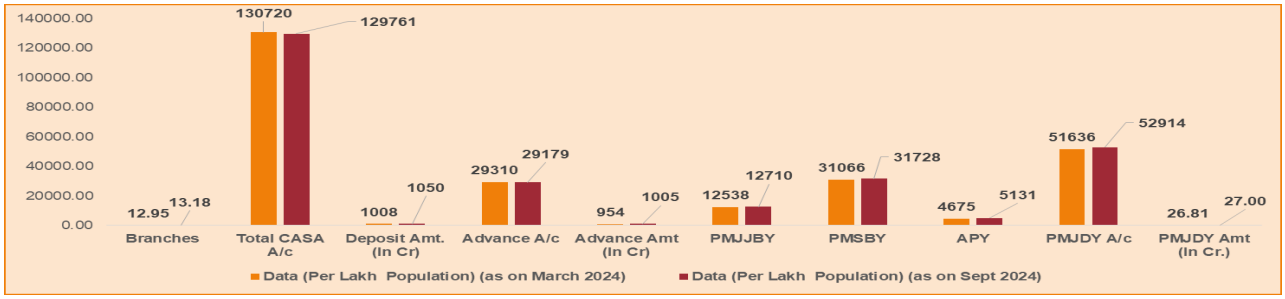

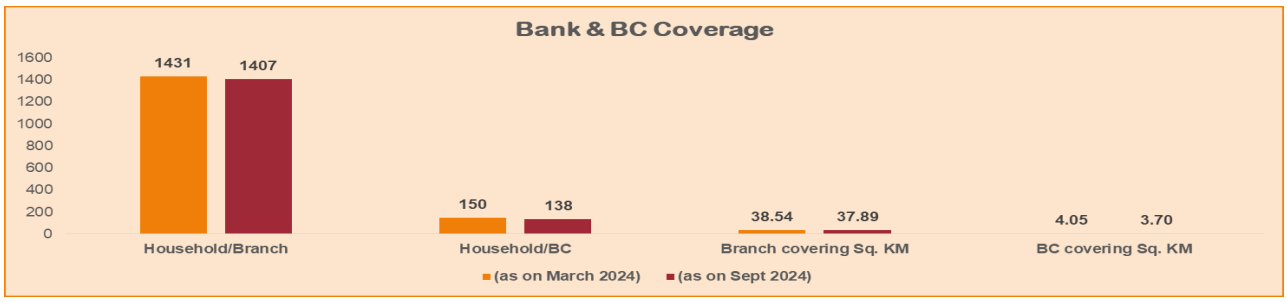

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को सलाह दी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान का अन्य राज्यों के सापेक्ष प्रदर्शन, एसएलबीसी के प्रस्तुतिकरण में दर्शित करें।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

Comparative Development of the Districts (Outstanding as on 30th Sept 2024)

Credit penetration – No. of Advance A/c per lakh population

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने निम्नानुसार सूचित किया-

- न्यूनतम प्रदर्शन वाले ज़िले- करौली (13,981), जोधपुर ग्रामीण (14,209), डीग (13,658), सालूम्बर (12,928) एवं धौलपुर (11,116)।
- उच्चतम प्रदर्शन वाले ज़िले- जयपुर शहरी (90,807), जोधपुर शहरी (53,984), गंगानगर (40,573), कोटपुटली-बहरोड़ (38,762), हनुमानगढ़ (36,491)।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने न्यूनतम प्रदर्शन वाले जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि credit penetration का ब्लॉक-वार विश्लेषण कर, monitorable action plan तैयार कर एसएलबीसी को प्रेषित करें। साथ ही इन जिलों में कार्यरत बैंक, शाखा-वार लक्ष्य आवंटित करते हुए प्रति-माह dedicated क्रेडिट शिविरों

का आयोजन करावे एवं बैंक के ब्लॉक-वार व ज़िले-वार प्रदर्शन के डाटा की निगरानी अपने स्तर से करते हुए credit penetration के स्तर में वांछित सुधार सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक धौलपुर, सलूम्बर, डीग, करौली एवं जोधपुर ग्रामीण)

Blocks having lowest CD ratio (as on 30th Sept, 2024)

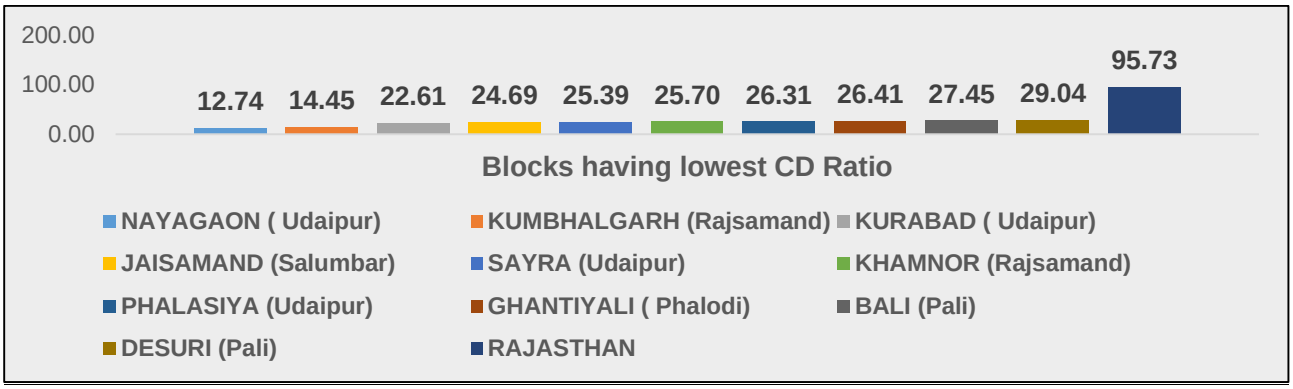

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि वह ब्लॉक-वार CD ratio सुधारने हेतु monitorable action plan तैयार कर एसएलबीसी को प्रेषित करें। साथ ही प्रति शाखा credit camps के लक्ष्य आवंटित करके प्रगति के डाटा की निगरानी अपने स्तर से करें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

Annual Credit Plan F.Y. 2024-25

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वार्षिक साख योजना 2024-25 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 3,60,221 करोड़** के सापेक्ष 30 सितंबर, 2024 तक क्षेत्र-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- **कृषि- 51.53%**
- **MSME- 64.47%**
- **अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 20.15%**
- **कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 55.85%**

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Banks having performance below 50% under Annual Credit Plan (ACP) during F.Y. 24-25 (upto 30th Sept, 2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सितंबर 2024 तक **50% से कम** उपलब्धि वाले बैंक यथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (17.22%), इंडियन बैंक (34.34%), एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक (39.72%), इंडसइंड बैंक (41.57%), यूको बैंक (48.49%), केनरा बैंक (47.42%), बैंक ऑफ इंडिया (26.45%), यस बैंक (38.43%), आरएससीबी (45.58%) एवं भारतीय स्टेट बैंक (48.54%) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, आरएससीबी एवं भारतीय स्टेट बैंक)

प्रतिनिधि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सूचित किया कि प्रस्तुतिकरण में प्रदर्शित डाटा गलत है जिसके उत्तर में एसएलबीसी द्वारा बताया गया कि प्रदर्शित डाटा बैंक द्वारा ही एसएलबीसी को प्रेषित किया गया है।
उन्होने सूचित किया कि बैंक की ACP उपलब्धि 33% है। बैंक द्वारा ACP के तहत प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से MSME और कृषि क्षेत्र हेतु क्रेडिट आउटरीच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने निर्धारित समय सीमा में ACP के लक्ष्य उपलब्ध करने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया कि बैंक ने 19.11.2024 से 15 दिनों तक क्रेडिट शिविरों का आयोजन किया है जिसमे पशुपालन केसीसी, food-and-agro एवं किसान तत्काल उप-योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति- उक्त सभी बैंक दिसम्बर 2024 तक वार्षिक साख योजना के तहत 75% उपलब्धि करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, आरएससीबी एवं भारतीय स्टेट बैंक)

Annual Credit Plan 2024-25:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में नाबार्ड द्वारा **रु 3,62,152 करोड़** का पीएलपी प्रॉजेक्शन प्रेषित किया गया है। इसके आधार पर वित्तीय साख योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु डीसीसी द्वारा **रु 3,60,221 करोड़** का लक्ष्य अनुमोदित किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धि से **16.93%** अधिक है।
- सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्रीय प्रबन्धकों को ACP के लक्ष्य उनके अधीन शाखाओं को आवंटित कर, मासिक/ त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में शाखाओं की प्रगति की समीक्षा करने हेतु निर्देशित करें एवं अपने स्तर से भी इसकी निगरानी करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- अग्रणी ज़िला प्रबन्धक हर वर्ष जून के दौरान एक प्री-पीएलपी बैठक बुलाएं और सभी हितधारक क्रेडिट क्षमता (सेक्टर/गतिविधि-वार) के बारे में अपने विचार प्रकट करें और पिछले एक वर्ष में जिले में प्रमुख वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक विकास पर विचार-विमर्श करेंगे। पीएलपी में सम्मिलित करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं। नाबार्ड के डीडीएम अगले वर्ष के लिए पीएलपी तैयार करने के लिए सूचना की प्रमुख आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए प्री-पीएलपी बैठक में एक प्रस्तुतिकारण दें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक एवं नाबार्ड)

Agency wise snapshot of Investment Credit under Agriculture (as on 30.09.2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- दिनांक 30.09.2024 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों का कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण क्रमशः **36.26%, 8.3%, 8.28% एवं 99.63%** हैं।
- दिनांक 30.06.2024 तक राजस्थान राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत **(30.88%)** से कम प्रतिशत वाले बैंक निम्नानुसार हैं- आरएमजीबी (2.67%), यूको बैंक (11.05%), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (4.18%), भारतीय स्टेट बैंक (11.89%), केनरा बैंक (13.27%), बीआरकेजीबी (10.63%), पंजाब और सिंध बैंक (13.27%), इंडियन बैंक (16.06%), बैंक ऑफ बड़ौदा (24.39%), पंजाब नेशनल बैंक (14.32%), आईडीबीआई (9.38%), जम्मू एंड कश्मीर (9.09%), फेडरल बैंक (11.33%), कैपिटल स्माल फ़ाइनेंस बैंक (21.00%) एवं डीबीएस बैंक (9.25%)।
- उक्त बैंकों से अनुरोध है कि कुल कृषि निवेश ऋण, कुल कृषि ऋण के 40% तक बढ़ाने हेतु कार्ययोजना बनाकर अग्रिम कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: आरएमजीबी, यूको बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बीआरकेजीबी, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आईडीबीआई, जम्मू एंड कश्मीर, फेडरल बैंक, कैपिटल स्माल फ़ाइनेंस बैंक एवं डीबीएस बैंक)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सूचित किया कि सहकारी बैंकों का कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण का प्रस्तुतिकरण में प्रदर्शित डाटा 8.28% है जो वास्तविक डाटा से अधिक है। एसएलबीसी से पुनः डाटा की जांच करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

प्रतिनिधि, आरएमजीबी ने सूचित किया कि बैंक ने पीएम कुसुम योजना के तहत ऋण देना प्रारम्भ किया है जिसके तहत रु 37 करोड़ का ऋण प्रदान किया जा चुका है।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने अनुरोध किया कि निवेश ऋण बढ़ाने के लिए 1 से अधिक कृषि सावधि ऋण योजनाओं जैसे AIF, PMFME इत्यादि के तहत ऋण प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करें।

(कार्यवाही: आरएमजीबी एवं आरएससीबी)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के राज्य प्रमुखों से, एसएलबीसी की बैठक में हुए निर्णयों और पारित निर्देशों को उनके अधीन क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं शाखा प्रबन्धकों तक पहुंचाने एवं उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Setting up of Brick-and-Mortar Branches Status as on 21.10.2024

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित **108 (95+13)** स्थानों में से **33 (30+3)** केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। दिनांक 21.10.2024.2024 तक **72 (63+9)** केन्द्रों पर शाखा खोली जा चुकी हैं एवं **03** केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना लंबित है जिसकी स्थिति निम्नानुसार है-

BANK WISE STATUS OF ALLOCATION OF IDENTIFIED LOCATIONS FOR BRICK & MORTAR BRANHCES

Sr. no.	District	Sub District	Village Code	Village Name	Population	New Allotment (05.09.2022 & 18.04.2023)	Branch Opened yes/No
1	Barmer	Chohtan	88879	Beejasar	4797	Punjab National Bank	No
2	Jaisalmer	Pokaran	86330	Madwa	3423	State Bank of India	No
2	Jodhpur	Osian	084511	Ompura	4173	IDFC FIRST Bank	No

प्रतिनिधि, **पंजाब नेशनल बैंक** ने सूचित किया कि बैंक को शाखा खोलने हेतु परिसर उपलब्ध करवा दिया गया है जिसमे civil contruction का कार्य प्रस्तावित है। उन्होने **15-20 दिसम्बर**, **2024** तक बीजासर में शाखा का संचालन शुरू करवाने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, **भारतीय स्टेट बैंक** ने सूचित किया कि केंद्र माडवा में बैंक शाखा खोलने हेतु पंचायत भवन का परिसर चिन्हित कर लिया गया है। उन्होने **फरवरी**, **2025** तक शाखा का संचालन शुरू करवाने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, **आईडीएफ़सी बैंक** ने सूचित किया कि **29 नवंबर**, **2024** को ओमपुरा में शाखा का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने उक्त बैंकों से दिसम्बर, 2024 में प्रस्तावित NZC की बैठक से पूर्व, आवंटित केन्द्रों में लंबित शाखाएँ खोलने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, **पंजाब नेशनल बैंक एवं आईडीएफ़सी बैंक)**

<u>Inactive Fixed Point BC data</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को राज्य के जून 2024 तक के Inactive Fixed Point BC data की बैंक-वार स्थिति से निम्नानुसार अवगत करवाया-

कैपिटल स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 100%, फिनो स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 75.49%, केनरा बैंक- 74.77%, आईपीपीबी-56.93%, बैंक ऑफ इंडिया- 36.77%, पेटीएम- 35.39%, यूको बैंक- 21.71%, एचडीएफ़सी- 16.45%, आईडीएफ़एस बैंक (12.50%), बैंक ऑफ बड़ौदा- 11.25%, पंजाब नेशनल बैंक- 7.94%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया- 7.31%, एयरटेल पेमेंट्स बैंक- 6.49%, भारतीय स्टेट बैंक- 6.32%, आरएमजीबी- 5.61%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया- 4.95%, इंडियन बैंक- 3.53%। 10% से अधिक BC inactivity प्रतिशत वाले बैंकों से असक्रिय बैंक मित्रों को जल्द-से-जल्द सक्रिय/ प्रतिस्थापित करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, **एचडीएफ़सी बैंक**, **आईडीएफ़सी बैंक**, **यूको बैंक**, **बैंक ऑफ इंडिया**, **पेटीएम पेमेंट्स बैंक**, **कैपिटल स्माल फ़ाइनेंस बैंक**, **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक**, **फिनो पेमेंट्स बैंक**, **केनरा बैंक)**

प्रतिनिधि, **केनरा बैंक** ने सूचित किया कि बैंक द्वारा Corporate BC को प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिसमे 1 महीने का समय लगेगा। इस अवधि में बैंक, असक्रिय BCs को sensitize करके उन्हे सक्रिय करने का प्रयास कर रहा है।

उप-महाप्रबंधक, **भारतीय रिजर्व बैंक** की टिप्पणी-

- बैंकों में inactive Fixed BCs की अधिक संख्या का सम्पूर्ण राज्य की Financial Inclusion Rating पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंकों में inactive Fixed BCs प्रतिशत 5% से कम होना चाहिए।
- जिन बैंकों में inactive Fixed BCs प्रतिशत 10% से अधिक है, वह इसे कम करने हेतु उचित कार्ययोजना बनाएँ एवं एसएलबीसी को प्रेषित करें। साथ ही एसएलबीसी की अगली बैठक तक सार्थक प्रगति सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, **एचडीएफ़सी बैंक**, **आईडीएफ़सी बैंक**, **यूको बैंक**, **बैंक ऑफ इंडिया**, **पेटीएम पेमेंट्स बैंक**, **कैपिटल स्माल फ़ाइनेंस बैंक**, **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक**, **फिनो पेमेंट्स बैंक**, **केनरा बैंक)**

- एसएलबीसी से अनुरोध है कि आगामी एसएलबीसी बैठकों में 10% से अधिक inactive fixed BCs वाले बैंकों का पिछली 3 तिमाहियों का डाटा प्रदर्शित करें। जिन बैंकों की प्रगति में तिमाही-वार सुधार नहीं होता है, उनके उच्चाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करवाएँ।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

<u>Progress under the 3 month campaign for saturation under Jan Suraksha schemes at Gram panchayat (GP) level in all districts from 15.10.2024 to 15.01.2024</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्थान सरकार ने दिनांक 15.10.2024 से 15.01.2025 तक PMJJBY एवं PMSBY के तहत संतृप्ति हेतु 3 माह का अभियान प्रारम्भ किया है जिसकी SOP एसएलबीसी द्वारा पत्रांक JZ:SLBC:2024-25:799 दिनांक 08.10.2024 के माध्यम से सभी सदस्य बैंकों और अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को प्रेषित की गयी है। इसके तहत DLCC बैठकों में पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों के समन्वय एवं ज़िला कलक्टर/ मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाना है।

- सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त अभियान के तहत, अग्रणी ज़िला प्रबंधकों से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन करावें एवं अपना अधिकतम योगदान प्रदान कर, इस अभियान को सफल बनावें।
- राज्य में **11**,**483** ग्राम पंचायतों हेतु PMJJBY एवं PMSBY के तहत क्रमशः **14**,**37**,**775** एवं **18**,**45**,**099** के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 11.11.2024 तक **2**,**454** ग्राम पंचायतों में PMJJBY एवं PMSBY के क्रमशः **93**,**561** एवं **1**,**53**,**724** आवेदन स्त्रोत किए गए हैं जिनमे से क्रमशः **81**,**415** एवं **1**,**39**,**070** आवेदनों में नामांकन की कार्यवाही की गयी है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि PMJJBY एवं PMSBY के लंबित आवेदनों का जल्द-से-जल्द निस्तारण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- उक्त अभियान के तहत नागौर ज़िले में प्रगति शून्य है।

प्रतिनिधि, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि नागौर में आचार संहिता लागू होने के कारण शिविरों का आयोजन निषेध था जिसके कारण प्रगति शून्य है।

अध्यक्ष, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि वह अपने जिलों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं का schedule प्राप्त करें और ज़िले में कार्यरत बैंक शाखाओं को प्रेषित कर उनसे अनुरोध करें कि वे इन ग्राम सभाओं में सहभागिता करें और ग्रामवासियों में वित्तीय समावेशी योजनाओं जैसे PMJDY, PMJJBY, PMSBY इत्यादि के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हे इन योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

उप-महाप्रबंधक, **भारतीय रिजर्व बैंक** कि टिप्पणी- बैंक शाखाएँ ग्राम सभाओं में आयोजित जागरूकता शिविर में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें जिससे ग्रामीण शाखाओं को वित्तीय साक्षारता शिविरों हेतु प्रदत्त लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकेंगे।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, **आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि प्रत्येक ग्राम में 4 ग्राम सभाएं पूर्व-निर्धारित होती है।

<u>Atal Pension Yojna FY 2024-25 upto 09.11.2024:</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राज्य में APY के तहत कुल **6,34,080** नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 09.11.2024 तक **3,57,314 (56%)** नामांकन किए गए हैं।
- अटल पेंशन योजनान्तर्गत **एजेंसी-वार** उपलब्धि निम्नानुसार है-
  - **सार्वजनिक बैंक- 63%**
  - **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 68%**
  - **स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 47%**
  - **एचडीएफ़सी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक- 12%**
  - **अन्य निजी बैंक- 40%**
  - **सहकारी बैंक- 1%**
- निजी बैंकों, विशेषकर **एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एवं आईडीबीआई बैंक** एवं सहकारी बैंकों से अनुरोध है कि अटल पेंशन योजना में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यबाही: समस्त निजी बैंक एवं सहकारी बैंक)

- उन्होने इंडियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा APY के तहत 101% उपलब्धि किए जाने पर बैंक की सराहना की और बधाई दी।

प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक ने सूचित किया कि APY के तहत प्रगति सुधारने हेतु बैंक द्वारा सर्कल स्तर एवं क्लस्टर स्तर पर कड़ी कार्यवाही की गयी है। सभी शाखाओं को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं जिसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होने APY के तहत बैंक के लक्ष्यों को 31 दिसम्बर, 2024 तक उपलब्ध किए जाने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, एचडीएफ़सी बैंक ने सूचित किया कि बैंक BC के माध्यम से APY के तहत अधिक से अधिक नामांकन करने हेतु प्रयासरत है। साथ ही APY नामांकन करवाने में बैंक स्टाफ के प्रदर्शन की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होने 31.12.2024 तक बैंक के differential लक्ष्य उपलब्ध किए जाने का आश्वासन दिया।

परियोजना निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 02.10.2024 को विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एसएलबीसी के माध्यम से 3 बैंकों की 12 शाखाओं को सम्मानित कराया गया था।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- जो बैंक सरकारी योजनाओं के तहत संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन का विश्लेषण कर उनके असराहनीय प्रदर्शन के संबंध में बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत कराए।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्न कि प्रदर्शित बैंक-वार लक्ष्य किस आधार पर आवंटित किए गए हैं जिसके उत्तर में **प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि APY के बैंक-वार लक्ष्य PFRDA द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

Deepening of Digital Payments Ecosystem:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को सूचित किया कि सभी बैंकों के समुचित प्रयासों के कारण राजस्थान को एसएलबीसी की 162वीं बैठक दिनांक 29.08.2024 में 100% डिजिटल राज्य घोषित किया गया है।

Re-KYC and Freezing of Accounts

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि राज्य में **77.17 लाख (7.39%)** PMJDY खातों में Re-KYC लंबित है एवं **10.53 लाख (6.16%)** PMJDY खातों को फ्रीज़ कर दिया गया है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि दिशा-निर्देशानुसार PMJDY खातों में Re-KYC की कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने PMJDY खातों की Re-KYC एवं खाता फ्रीज़ की स्थिति से सदन को निम्नानुसार अवगत करवाया-

Major Banks	Total accounts	Inoperative accounts	Re-KYC due (up to 31st Dec 2024)	Accounts frozen
State Bank of India	14024272	1722566	3136907	881825
Punjab National Bank	3425524	1053975	941570	51656
Canara Bank	427152	108363	215838	27991
ICICI Bank	891506	174286	191449	24084
Union Bank of India	560766	147278	207504	15974
Central Bank of India	483422	133743	248382	15805
IDBI Bank	64712	30788	41127	14248
Axis Bank	75664	27154	13517	6209
Bank of Maharashtra	123725	22742	43392	5423
Other	**16109646**	**3326791**	**2677361**	**10216**
Total	**36186389**	**6747686**	**7717047**	**1053431**

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि PMJDY खातों में Re-KYC एवं खाते unfreeze कराने हेतु मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है।

Support required from State Government

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने आर-सेटी भवन निर्माण से संबन्धित विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में सूचित किया कि आयोजना विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2024 को मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में RSETI भूमि आवंटन संबंधी लंबित मुद्दों के निस्तारण हेतु विभिन्न विभागों एवं संबन्धित जिला कलक्टर के साथ बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में सभी मुद्दो को एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही / निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था जो आज दिनांक तक लंबित है। संबन्धित विभाग से आर-सेटी भवन निर्माण से संबन्धित विभिन्न मुद्दों का जल्द-से-जल्द निस्तारण करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

Amendment in PDR Act, 1952

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- विभिन्न राज्यों यथा उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश इत्यादि में उक्त अधिनियम में विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल किया गया है व एसएलबीसी द्वारा उक्त राज्यों के पीडीआर अधिनियम की प्रतिलिपि राजस्व विभाग को प्रेषित की गई है।
- आयोजना विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ज़िला कलक्टरों से राज्य सरकार की special waiver scheme के अंतर्गत आने वाले ऋणों के अतिरिक्त RACO-RODA में लंबित सभी प्रकरणों का बिना विलंब निस्तारण करवाने का निर्देश दिया।
- राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से, PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

RACO RODA & SARFAESI Act

प्रकरण बकाया दिनांक 30.09.2024 तक

- **RACO RODA - 1,65,178 Cases Amt. ₹. 3,759.93 Cr**
- **SARFAESI Act - 1,802 Cases Amt. ₹. 252.07 Cr.**

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने निम्नानुसार सूचित किया-

- विभिन्न जिलों में SDM/तहसीलदार द्वारा राको-रोडा के मौजूदा केसों में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है व नए केस काफी कम संख्या में स्वीकार किए जा रहे हैं।
- आयोजना विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2024 को मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में राको-रोडा से संबन्धित लंबित मुद्दों के निस्तारण हेतु विभिन्न विभागों एवं संबन्धित जिला कलक्टर के साथ बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में सभी मुद्दो को एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही / निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था जो आज दिनांक तक लंबित है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

Property cards issued under Svamitva Scheme

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- SVAMITVA योजना inhabited rural areas में घरों के मालिकों को 'Record of Right' प्रदान करेगी, बदले में, उन्हें बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। जिसके तहत ग्रामीणों को वित्तीय साधन के रूप में प्रोपर्टी कार्ड जारी किया जावेगा जो संपार्श्विक के रूप में काम करेगा।
- राजस्थान राज्य में आवासीय उद्देश्य के लिए आबादी भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि स्वामित्व योजना में निर्दिष्ट प्रॉपर्टी कार्ड।
- पट्टे पर "डिफॉल्ट के मामले में संपत्ति की बिक्री नहीं करने" की शर्त है जो बैंकों को SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत सुरक्षा लागू करने के लिए प्रतिबंधित करती है। उक्त पट्टे के आधार पर निर्माण कार्य के अतिरिक्त किसी प्रायोजन के लिए ऋण देने का प्रावधान नहीं है।
- दिनांक 05.11.2024 को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान शासन सचिव, राजस्व विभाग ने सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टे के नियम और शर्तों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है एवं संशोधन होते ही यह पट्टे स्वामित्व योजना के तहत मान्य हो जाएंगे।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार)

- राज्य में दिनांक 30.09.2024 तक स्वामित्व योजना के तहत रु 1,21,073 लाख के 8,559 ऋण स्वीकृत किए गए हैं एवं इन सभी ऋण खातों में रु 1,20,155 का ऋण वितरण किया गया है।

Reduction in Frequency of DLRC meetings

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि**-**

- चूंकि जन प्रतिनिधि डीएलआरसी फोरम के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, इसलिए अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को सांसदों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएलआरसी बैठकों की तारीखें तय करनी चाहिए और एजेंडा पत्रों को पहले ही सांसदों को वितरित करना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- हालाँकि, यह देखा गया है कि अधिकांश जन प्रतिनिधियों को समय की कमी होने के कारण डीएलआरसी बैठकों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत कम है और अधिकांश समय डीसीसी बैठकों के प्रतिभागी ही डीएलआरसी बैठक में भाग ले रहे हैं।
- राज्य में जून 2024 तिमाही में 50 जिलों में से मात्र 2 जिलों यथा भीलवाड़ा एवं जैसलमर में MLA द्वारा सहभागिता की गयी एवं 22 जिलों में ही किसी भी जन-प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता की गयी।
- राज्य में सितंबर 2024 तिमाही में 50 जिलों में से मात्र 2 जिलों यथा गंगापुर सिटी एवं उदयपुर में MLA द्वारा सहभागिता की गयी एवं 33 जिलों में ही किसी भी जन-प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता की गयी।
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित किया जाता है कि डीएलआरसी बैठक की आवृत्ति को त्रैमासिक से घटाकर अर्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर किया जाए और जन प्रतिनिधियों, अर्थात संबंधित स्थानीय

सांसदों/विधायकों/जिला परिषद प्रमुखों द्वारा दी गई दिनांक और समय के अनुसार डीएलआरसी का आयोजन किया जाए।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा सभी कलक्टरों को पत्र के माध्यम से डीएलआरसी की बैठकों में जन-प्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित करवाने का अनुरोध किया गया है। इस हेतु LDM कार्यालय से भी नियमित follow-up किया जा रहा है। इसके पश्चात भी जन-प्रतिनिधियों द्वारा DLRC की बैठकों में सहभागिता का स्तर संतोषजनक नहीं है।

प्रतिनिधि, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया कि कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली 20 सूत्रीय बैठक अथवा अन्य किसी बैठक/ कार्यक्रम हेतु जब प्रतिनिधि ज़िले में उपस्थित होते हैं उस समय ही डीएलआरसी की बैठक करवाएँ जिससे जन-प्रतिनिधि सुगमता से सहभागिता कर सकें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, राजस्थान)

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि पीएम-स्वनिधि योजना के तहत **3,12,240** के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में दिनांक 11.11.2024 तक **2,64,010** आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से **226,502** आवेदनों में **रु. 283.65 करोड़** वितरित किए गए हैं। **37,508** स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है। सभी बैंकों से जल्द से जल्द उक्त योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं शत प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks under as on 11.11.2024						Lowest Performing Banks under as on 11.11.2024					
Sr. No.	Banks	Target alloted by DFS (Loan Disbursement) UPTO 31.12.2024	Total Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in lacs)	% Achievement of first term loan	Sr. No.	Banks	Target alloted by DFS (Loan Disbursement) UPTO 31.12.2024	Total Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in lacs)	% Achievement of first term loan
1	State Bank of India	103995	107336	14206.63	89.54	1	IndusInd Bank	10922	1	0.10	0.00
2	Bank of Baroda	56442	46067	5291.20	82.39	2	Bandhan Bank	5034	1	0.10	0.00
3	Bank of India	10317	8502	1030.99	78.55	3	Axis Bank	3543	28	2.80	1.82
4	Bank of Maharashtra	3205	2539	306.15	78.34	4	AU Small Finance bank limited	3883	159	17.10	1.42
5	Central Bank of India	9677	8088	1007.40	77.45	5	ICICI Bank LTD	7959	433	45.94	4.63

कम प्रगति वाले बैंकों से योजनान्तर्गत तिमाही के अंत तक प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

परियोजना निदेशक, **स्वायत्त शासन विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि 'प्रगति' पोर्टल पर सभी बैंकों की PM SVANidhi के तहत प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आगामी बैठक 27 नवंबर, 2024 को प्रस्तावित है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण करें एवं स्वीकृत ऋण आवेदनों में बिना विलंब ऋण वितरण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

National Rural Livelihood Mission (NRLM)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत **1,36,700** खातों में **रु 2,550 करोड़** का ऋण वितरण करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.09.2024 तक **44,195 खातों (32.33%)** में **रु 654.92 करोड़ (25.68%)** का ऋण वितरण किया गया है।

NRLM के तहत राज्य के उच्चतम एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Banks under as on 30.09.2024					Lowest Performing Banks under as on 30.09.2024				
Sr. No.	Banks	Target AC	Disbursed AC	% Disb against Target	Sr. No.	Banks	Target AC	Disbursed AC	% Disb against Target
1	CANARA BANK	1050	693	66.00	1	RSCB	3300	35	1.06
2	UCO BANK	1030	579	56.21	2	ICICI BANK LTD	19000	1821	9.58
3	INDIAN BANK	2200	1174	53.36	3	HDFC BANK LTD	12470	1212	9.72
4	BRKGB	34710	17674	50.92	4	IDBI BANK LTD	100	10	10.00
5	CBI	1530	563	36.80	5	UNION BANK OF INDIA	2000	285	14.25

कम प्रगति करने वाले सभी बैंकों से योजनान्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक)

प्रतिनिधि, राजीविका, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि-

- भारत सरकार के NRLM पोर्टल के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक,, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं आईसीआईसीआई बैंक का प्रदर्शन अत्यंत असंतोषजनक है। साथ ही एचडीएफ़सी को प्रस्तुतीकरण में न्यूनतम प्रदर्शन वाले बैंकों में दर्शाया गया है जबकि एनआरएलएम पोर्टल के अनुसार एचडीएफ़सी का प्रदर्शन संतोषजनक है। अतः एसएलबीसी से अनुरोध है कि बैंकों के डाटा की पुनः जांच करें।

  (कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- सभी बैंकों से अनुरोध है कि NRLM के तहत भारत सरकार द्वारा आवंटित ऋण वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करें एवं लंबित ऋण आवेदनों का बिना विलंब निस्तारण करें। साथ ही ऋण के पहले tranche में कम से कम रु 1 लाख वितरित करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक ने सूचित किया कि प्रस्तुतिकरण में प्रदर्शित बैंक का डाटा गलत है। सितंबर 2024 तक बैंक द्वारा 5,772 SHGs को रु 209.67 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जो क्रमशः 49.75% और 46.16% उपलब्धि है।

Performance under Govt. Sponsored Programmes during FY 2024-25

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राज्य में प्रगति से सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

Sr.	Name of Scheme	Targets (No.)	No. of Appl. Spon.	No. of Appl. Sanc.	No. of Appl. Disb.	No. of Appl. Pending	% Ach
1	Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (as on 30.06.2024)	-	1263 No. 80.87 Cr (MM)	641 No. 55.62 Cr (MM)	311 No. 28.78 Cr (MM)	1172 No. 96.16 Cr (MM)	-
2	Agriculture Infrastructure Fund (AIF) (as on 31.07.2024)	3250 Cr	312.14 Cr	189.65 Cr	53.27 Cr	73.62 Cr	5.36
3	PM Formalization of Micro food processing Enterprises (PMFME) (as on 31.07.2024)	7331	307	74	39	184	1.01

4	National Urban Livelihood Mission (NULM) – Individuals & Group (as on 30.06.2024)	2630	2781	570	555	2211	21.67
5	National Urban Livelihood Mission (NULM) – SHG (as on 30.06.2024)	1065	984	223	222	761	20.94
6	Mukhya Mantri Laghu Udyog Protsahan Yojana (MLUPY) (as on 30.06.2024)	5200	8831	1254	1115	6940	24.12
7	Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana – 2022 (BRUPY) (as on 30.06.2024)	2000	239	87	66	233	4.35
8	Mukhya Mantri Yuwa Udyam Protsahan Yojana (MYUPY) (as on 30.06.2024)	200	746	74	73	565	37.00
9	Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojna (IMSUPY) (as on 30.06.2024)	1200	5016	123	71	4893	10.25

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी-

- वित्तीए समावेशन के विभिन्न मापदंड, सरकारी योजनाओ में pendency इत्यादि के आधार पर बैंकों की रेंकिंग की जायें एवं जिन बैंकों में आगामी तिमाही में उचित सुधार नहीं होता है तो उसे अगले स्तर पर escalate किया जाये। इस संबंध में पिछली तिमाही के संबंध में अवलोकन रिपोर्ट (Performance Report) सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों को भेजी जाए।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- आगामी एसएलबीसी बैठकों में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को संबन्धित विभाग द्वारा acknowledge/ सम्मानित किया जाए।

(कार्यवाही: राज्य सरकार के सभी संबन्धित विभाग)

- सभी सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न मापदण्डों में प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक ज़िला कलक्टर को प्रति तिमाही Report Card प्रेषित किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- बैंकों से सलाह है कि केन्द्रित एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों का समय से निस्तारण करें एवं pendency level कम करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- एसएलबीसी की Mornitoring एवं Follow up की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु में एसएलबीसी कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धि हो।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा)

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि MLUPY और MYUPY को 31.07.2024 से बंद कर दिया गया है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिये गए निम्न दिशानिर्देशों की अनुपालना करते हुए योजनाओं के तहत सराहनीय प्रदर्शन करने का अनुरोध है-

- लंबित आवेदनों को 30.11.2024 तक स्वीकृत करें।
- स्वीकृत आवेदनों का वितरण दिनांक 31.12.2024 तक करें।
- लाभार्थी को MLUPY के तहत सब्सिडी का लाभ उपलब्ध करवाने हेतु बैंक 15.01.2025 तक पोर्टल पर पहले tranche के ऋण वितरण का विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें।

- MLUPY के तहत बैंकों को 10,678 आवेदन अग्रेषित किए गए हैं जिनमे से 3,772 में ऋण स्वीकृति व 3,154 में ऋण वितरण किया गया है एवं 4,926 आवेदन निस्तारण हेतु बैंकों के पास लंबित हैं।
- MYUPY के तहत राज्य को आवंटित लक्ष्य surpass हो गए हैं जिसके लिए सभी बैंक बधाई के पात्र हैं।
- सभी बैंकों से उक्त दोनों योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण उपरोक्त उल्लिखित तिथि तक करने का अनुरोध है जिसके बाद आवेदन का गैर-निस्तारण संबंधित बैंक की जिम्मेदारी होगी।
- BRUPY योजना के तहत कुल 2,890 आवेदन बैंकों के पास लंबित हैं जिनमे से 1,429 आवेदन पिछले वर्ष के हैं। इसमे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बीआरकेजीबी, आरएमजीबी एवं यूको बैंक के क्रमशः 1,046, 458, 307, 271, 164 एवं 119 आवेदन लंबित हैं। भारतीय स्टेट बैंक के 548 लंबित आवेदन पिछले वर्ष के हैं। संबन्धित बैंकों से लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का अनुरोध है।
- विश्वकर्मा योजना के तहत 74,884 आवेदन, जो 1st tranche के अंतर्गत ऋण वितरण हेतु पात्र हैं, बैंकों को अग्रेषित किए गए हैं जिनमे से 20,042 आवेदन स्वीकृत कर दिये गए हैं एवं 16,270 आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है। 26,905 आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं। इस योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने 5,795 स्वीकृत आवेदनों में से 5,341 में ऋण वितरण कर दिया है जो सराहनीय है। वहीं एयू बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक की प्रगति नगण्य है जो अस्वीकार्य है। बैंकों से निर्धारित समय सीमा में लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी उपस्थित राज्य सरकार के विभागों से अनुरोध किया कि संबन्धित केंद एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का डाटा साप्ताहिक आधार पर एसएलबीसी को प्रेषित करें जिससे प्रभावी बैंक-वार मॉनिटरिंग की जा सके।

(कार्यवाही: राज्य सरकार के सभी संबन्धित विभाग)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी-

- एसएलबीसी से अनुरोध है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों से डाटा प्राप्त करने हेतु स्टैंडर्ड प्रारूप तैयार करें जिसमे किस बैंक के कितने आवेदन कितने समय से लंबित हैं का वर्गीकृत डाटा उपलब्ध हो।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- राज्य सरकार से अनुरोध है कि जन-समर्थ पोर्टल के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करें जिससे इनमे प्रगति की समीक्षा करना सुगम होगा।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- दिनांक 05.11.2024 को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने महिलाओं, बेरोजगार युवा, किसान, Street Vendors एवं कमजोर वर्ग के उत्थान पर ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध किया था।
- राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ उक्त वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं। अतः बैंक इन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करे एवं सभी लंबित आवेदनों का जल्द-से जल्द निस्तारण करें।
- बैंक प्रत्येक योजना के तहत प्रत्येक शाखा को कम से कम 1 ऋण प्रदान करने हेतु निर्देशित करें जिससे सभी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- सभी बैंक, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु संबन्धित स्टाफ के APR में 10 अंक (केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 5-5 अंक) आवंटित करें एवं ऐसी व्यवस्था पहले से होने पर इसकी सूचना आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के साथ साझा करें।
- बैंक अपने स्तर पर ज़िले-वार एवं शाखा-वार प्रदर्शन का विश्लेषण कर, सुधारात्मक कार्यवाही करे।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों को सभी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लंबित आवेदनों का निस्तारण आगामी 15 दिनों अतः **दिनांक 04.11.2024** तक करने हेतु निर्देशित किया। उन्होने बताया कि MSME संबन्धित ऋण योजनाओं में CGTMSE कवर उपलब्ध है, अतः बैंक अधिक से अधिक MSMEs को सरकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने प्रस्तुतिकरण में सभी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उच्चतम एवं न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले 5-5 बैंक दर्शाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि अगली एसएलबीसी बैठक में सरकारी योजनाओं के तहत प्रगति, सितंबर तिमाही की प्रगति के सापेक्ष दर्शाएँ।

प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- IMSUPY के तहत दिनांक 19.11.2024 तक 2,854 ऋण आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं एवं 5,500 ऋण आवेदन बैंकों के पास निस्तारण हेतु लंबित हैं। लकभाग 300 TDR अपलोड करने हेतु लंबित हैं।
- IMSUPY के तहत बैंक ऋण आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात बिना विलंब के ऋण वितरण करें एवं लंबित ऋण आवेदनों का निस्तारण करे।
- बैंक, ऋण स्वीकृत करने के पश्चात समय से TDR अपलोड करें जिससे विभाग द्वारा IMSUPY के तहत प्रगति की real-time मॉनिटरिंग की जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि दिनांक 22.10.2024 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

Bankwise PMEGP progress as on 22.10.2024												₹ in Cr.	
Targets	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank			Margin Money Claimed			MM Disbursed			Pending for MM	
	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve
5802	3531	21713	1545	12807	220.73	1927	15499	267.13	449	3926	67.67	1868	15219

PMEGP के अंतर्गत अधिकतम एवं न्यूनतम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks under as on 22.10.2024					Lowest Performing Banks under as on 22.10.2024				
Sr. No.	Banks	Targets FY 2024-25 (Rs. In Crs)	MM Disb. (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disb	Sr. No.	Banks	Targets FY 2024-25 (Rs. In Crs)	MM Disb. (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disb
1	BANK OF BARODA	1311	1270.11	96.86	1	AXIS BANK LTD	176	0.00	0.00
2	IDBI BANK	176	141.12	80.05	2	AU SMALL FIN BANK LTD	128	0.00	0.00
3	UCO BANK	513	295.71	57.69	3	HDFC BANK	468	24.34	5.20
4	CANARA BANK	574	287.94	50.19	4	RMGB	608	46.15	7.59
5	CENTRAL BANK OF INDIA	485	227.32	46.84	5	BANK OF MAHARASHTRA	191	17.50	9.14
Source: PMEGP Portal									

योजनांतर्गत असराहनीय प्रदर्शन वाले बैंकों से प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफ़सी बैंक,आरएमजीबी एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

PMFME Scheme

दिनांक 18.10.2024 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Bank Wise Progress under PM FME for FY 2024-25 as on 18.10.2024 (₹. in Cr.)													
S. N.	Bank	Individual Unit Target	Application Received		Application Sanctioned		Application Disbursed		Application Rejected		Pending Applications		%age Achievement
		A/c	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	
A	Public Sector Bank	**4439**	406	108.15	88	15.12	59	10.05	143	28.85	175	49.56	1.98
B	Private Sector Bank	**1421**	110	55.24	35	7.59	18	3.08	5	0.91	70	41.41	2.46
C	Regional Rural Bank	**1037**	40	9.26	6	0.60	2	0.32	9	1.04	25	7.41	0.58
D	Co-Operative Bank	**244**	20	0.61	19	0.10	19	0.10	0	0.00	1	0.01	7.79
E	Small Finance Bank	**190**	7	3.00	0	0.00	0	0.00	4	1.91	3	1.08	0.00
	Grand Total	**7331**	**583**	**176.26**	**148**	**23.41**	**98**	**13.55**	**161**	**32.72**	**274**	**99.47**	**2.02**

सभी बैंकों से PMFME के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने संबन्धित विभाग से PMFME के आवेदन और अधिक संख्या में बैंक शाखाओं को अग्रेषित करने हेतु कहा।

(कार्यवाही: राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की टिप्पणी-

- सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वह प्रति शाखा 2 PMFME ऋण वितरण सुनिश्चित करते हुए PMFME के तहत राज्य के लक्ष्यों की उपलब्धि में अपना वांछित योगदान देवें।
- विभाग ने राज्य में सभी बैंक शाखाओं को PMFME योजना की जानकारी पुनः देने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकों का कार्यक्रम निर्धारित किया है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि सभी बैंक अपने अधीनस्थ सभी शाखाओं को निर्धारित तिथि व समय पर बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करें।
- बैंक द्वारा PMFME के संभावित लाभार्थी की सूचना, शाखा के IFSC के साथ विभाग के टोल फ्री नंबर **(9829026990)** पर दिये जाने पर विभाग द्वारा संभावित लाभार्थी को शाखा में PMFME के तहत onboard किया जाएगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 30.10.2024 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Agriculture Infrastructure Fund as on 30.10.2024 (₹. in Cr.)												
Sr. No.	Bank	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned, pending for Disb.		Out of Sanctioned, App. Disb. By Bank		Application Pending with Bank		% age Ach (sanction)
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
A	Public Sector Bank	512	391.39	305	218.14	72	82.52	233	135.62	107	78.85	10.62
B	Private Sector Bank	183	92.96	34	29.16	8	8.11	26	21.05	127	61.82	4.25
C	Regional Rural Bank	23	16.06	11	9.68	4	5.19	7	4.49	11	6.16	1.78
D	Co-Operative Bank	7	1.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	1.70	0.00
E	Small Finance Bank	7	14.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	13.58	0.00
	Rajasthan Total	**734**	**517.24**	**351**	**257.29**	**85**	**96.12**	**266**	**161.16**	**259**	**162.39**	**7.27**

सभी बैंकों से कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत स्वीकृत किए हुये ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Pradhan Mantri Mudra Yojna:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29.10.2024 तक **9,57,866** खातों में **रु 10,759.51 करोड़** का ऋण वितरण रिपोर्ट किया गया। साथ ही उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के तहत पिछले ऋण का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है, मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर मौजूदा रु 10 लाख से रु 20 लाख कर दी गयी है, एवं इन ऋणों को 'तरुण प्लस' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।

सभी बैंकों से अनुरोध है कि जिन उद्यमियों ने 'तरुण' श्रेणी के तहत लिए ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है, उन्हे 'तरुण प्लस' श्रेणी के तहत लाभान्वित करने का प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उक्त योजनान्तर्गत श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

Sr. No.	Category	No. of A/c's	Disbursed Amt. cr
1	Shishu	4,65,286 (48.58%)	1725.06
2	Kishore	4,52,143 (47.20%)	5835.86
3	Tarun	40,437 (4.22%)	3198.59
	Total	9,57,866	10,759.51

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna (PMSGMBY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि PMSGMBY के तहत दिनांक 30.09.2024 तक बैंकों को प्राप्त **3,053** आवेदनों में से **रु 3,360 लाख** के **1,955** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से **1,833** आवेदनों में **रु 3,061 लाख** का ऋण वितरण किया गया है। बैंकों के पास **362** आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं एवं **736** आवेदनों निरस्त कर दिये गए हैं।

सभी बैंकों से अनुरोध है कि PMSGMBY के तहत अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Sector wise NPA Position as on 30th Sept, 2024

राज्य में क्षेत्र वार NPA की 30 सितंबर, 2024 तक की स्थिति निम्नानुसार है-

कुल- 3.28%

कृषि- 7.45%

एमएसएमई- 2.46'%

अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 1.82%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.52%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के NPA का क्षेत्र वार वर्गिकरण निम्नानुसार है-

कुल कृषि- 70.38%

कुल एमएसएमई- 25.00%

कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.62%

Comparison chart of NPA (%)

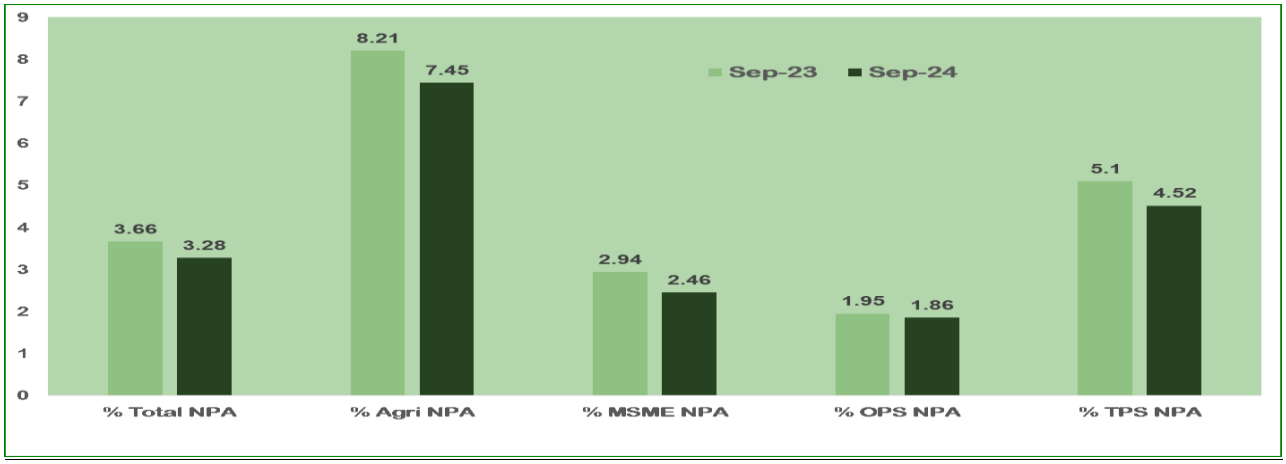

Education Loan

बैंकों द्वारा वर्ष 2024-25 में सितंबर, 2024 तिमाही तक राज्य में **14,124** छात्रों को राशि **रू 501.69 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 30.09.2024 तक **45,039** खातों में **रु 3,134.77** करोड़ की राशि outstanding है।

प्रतिनिधि, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि बैंकों से प्राप्त KCC के तहत प्रगति का डाटा, विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त प्रगति से भिन्न होता है। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध है कि KCC आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनवाएँ जिससे प्रगति की मॉनिटरिंग को सुधारा जा सके।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि RBI का Innovation Hub, राज्य सरकार के सहयोग और समन्वय से Unified Lending Interface बनाने हेतू कार्यरत है। Innovation Hub को राज्य सरकार से ऑनलाइन lein लगाने की प्रक्रिया प्राप्त होने पर यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा KCC का आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा जिसकी स्वीकृति/ ऋण वितरण भी ऑनलाइन होगा।

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।

***